न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
39 / 2012 / प्रा.पत्र / 2012	22.11.2012	09.12.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री भागचन्द जैन विक्रेता मैसर्स महावीर जनरल स्टोर मेन मार्केट राहोली तहसील निवाई जिला टोंक निवासी गढ के पास राहोली तहसील निवाई जिला टोंक
2–श्री महावीर जैन पुत्र भाग चन्द जैन एफ.बी.ओ मैसर्स महावीर जनरल स्टोर मेन मार्केट राहोली तहसील निवाई जिला टोंक निवासी गढ के पास राहोली तहसील निवाई जिला टोंक
3–श्री प्रेम चन्द जैन पुत्र श्री चन्दा लाल जैन प्रोपरायटर मै0 प्रेम चन्द पवन कुमार बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक निवासी बालिका स्कूल के पास मायला बाग निवाई जिला टोंक
4–श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री केदार प्रसाद प्रोपरायटर मैसर्स अशोक जनरल स्टोर बैक ऑफ बडोदा की गली सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक निवासी महावीर कॉलोनी निवाई जिला टोंक
5–श्री मनीष कुमार बज पुत्र श्री प्रेम चन्द बज प्रोपरायटर मैसर्स रिद्वी सिद्वी सेल्स एजेन्सीज 206 दीनानाथ जी की गली चॉदपोल बाजार जयपुर निवासी बजो का नसिया गंगापोल गेट के बाहर बास बदनपुरा जयपुर

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (iv) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–श्री मयंक गुप्ता,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:–**निर्णय**–:

दिनांक 09.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.03.2012 को समय 2.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स महावीर जनरल स्टोर मेन मार्केट राहोली तहसील निवाई जिला टोंक पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से प्रकाश चन्द पुत्र श्री भागचन्द जैन विक्रेता मैसर्स महावीर जनरल स्टोर मेन मार्केट राहोली तहसील निवाई जिला टोंक निवासी गढ के पास राहोली तहसील निवाई जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का नियंत्रण ... स्वीकार किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **गुटखा नजर ब्राण्ड** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री प्रकाश चन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता प्रकाश चन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 20 पैकिट (वजन 3 किलोग्राम लगभग) **गुटखा नजर ब्राण्ड** रखे हुये मे से चार पैकिट (150 ग्राम X4 = 600 ग्राम) का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री प्रकाश चन्द जैन को रू0 276/–अक्षरे दौ सौ छियतर रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **गुटखा नजर ब्राण्ड** चार पैकिट को ज्यो का त्यो नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–290 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–290 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. प्रकाश चन्द जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री प्रकाश चन्द जैन ने मौके पर **गुटखा नजर ब्राण्ड** मै0 प्रेम चन्द पवन कुमार बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक का खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 3700 दिनांक 27.02.2012 की छायाप्रति पेश की। मै0 प्रेम चन्द पवन कुमार बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक से पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स अशोक जनरल स्टोर बैक ऑफ बडोदा की गली सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक का खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 2317 दिनांक 25.02.2012 की छायाप्रति पेश की। मैसर्स अशोक जनरल स्टोर बैक ऑफ बडोदा की गली सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक से पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स रिद्वी सिद्वी सेल्स एजेन्सीज 206 दीनानाथ जी की गली चॉदपोल बाजार जयपुरका खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 6260 दिनांक 11.02.2012 की छायाप्रति पेश की

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य वि[illegible] खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2012/1303 दिनांक 10.04.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/327/एक्ट/2012/323 दिनांक 22.03.2012 अनुसार प्रकाश चन्द जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **गुटखा नजर ब्राण्ड** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(iv) के अनुसार **प्रतिषेद्व** (Contravene) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण **द्वारा प्रतिषेद्व** (Contravene) स्तर का **गुटखा नजर ब्राण्ड** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (iv) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत ना कर बहस हेतु निवेदन कर बहस की। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **गुटखा नजर ब्राण्ड** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **प्रतिषेद्व** (Contravene) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **गुटखा नजर ब्राण्ड** का नमूना जांच में **प्रतिषेद्व** (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (iv) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री भागचन्द जैन विक्रेता मैसर्स महावीर जनरल स्टोर मेन मार्केट राहोली तहसील निवाई जिला टोंक निवासी गढ के पास राहोली तहसील निवाई जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री महावीर जैन पुत्र भाग चन्द जैन एफ.बी.ओ मैसर्स महावीर जनरल स्टोर मेन मार्केट राहोली तहसील निवाई जिला टोंक निवासी गढ के पास राहोली तहसील निवाई जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री प्रेम चन्द जैन पुत्र श्री चन्दा लाल जैन प्रोपरायटर मै0 प्रेम चन्द पवन कुमार बिलाला मार्केट निवाई जिला टोंक निवासी बालिका स्कूल के पास मायला बाग निवाई जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री केदार प्रसाद प्रोपरायटर मैसर्स अशोक जनरल स्टोर बैंक ऑफ बडोदा की गली सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक निवासी महावीर [illegible] निवाई जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी [illegible] श्री प्रेम चन्द बज प्रोपरायटर मैसर्स रिद्वी सिद्वी सेल्स एजेन्सीज 20[illegible] जी की [illegible] चॉदपोल बाजार जयपुर निवासी बजों का नसिया गंगापोल गेट के बाहर [illegible] जयपुर पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.12.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

9.12.21

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:27:39 IST
Reason: SelfAttested